

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या: 03/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादून: दिनांक: 03 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016" प्रख्यापित किये गये हैं जिसमें नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2- उक्त अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची-1 (वेतन मैट्रिक्स) के स्तर-4 (ग्रेड वेतन 2400) की आठवीं कोष्ठिका में टंकण त्रुटिवश "31400" के स्थान पर "41400" टंकित हो गया है। अतः वेतन स्तर-4 की आठवीं कोष्ठिका में टंकित धनराशि "41400" के स्थान पर "31400" पढ़ी जाय।

3- उक्त वेतन नियम की संलग्न अनुसूची-1 (वेतन मैट्रिक्स) उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या: 03 /XXVII(7)50(16)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।